म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

ारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20	वाद अ. धा. 88-188 R.T.A के साथ प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A का वकील श्री V.P शर्मा ने प्रस्तुत किया प्रा.पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी मे दि 7-9-2020 को पेश हो।	
9-20	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-10-20 को पेश की जावे (मु.) — पत्रावली मे विपक्षी स-1 की ओर से मूल वाद मे अधिकार पत्र के साथ जवाब प्रा.पत्र पेश किया विपक्षी उपस्थित	अ. नि. भगवान
10.20	पत्रावली पेश हुई SDO सा. का स्था. होने से वकील प्रार्थी उप. अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-12-20 को पेश हो। (मु.)	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह तथ्य अंकित किया है कि मैं भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान आदि से हस्तान्तरित नहीं कर रहा हूँ। प्रस्तुत जवाब पर उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत [illegible] धारा [illegible] का अवलोकन किया गया [illegible] 212 RTA [illegible] किया गया। प्रार्थी [illegible] प्रथम दृष्टया [illegible] स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के दौरान यदि विपक्षी प्रतिवादी द्वारा [illegible] भूमि को [illegible] अपने खातेदारी की [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:43:43 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस हुक्म में जारी
	का दिया जाता है तो प्रार्थी का इन न्यायालय वाद पेश करना व्यर्थ हो जायेगा, तथा प्रथम सुविधा का संतुलन व आर्थिक क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होती है। प्रा०प० स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना प० अ० आ० 212 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को मूल वाद निस्तारण होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा लाडपुरा प०स० कैरपुरा के खाता सं० 51 में अंकित आ० नं० 217 रकबा 0.41 है०, खाता सं० 74 की ख० नं० 405/302 रकबा 0.395 है०, ख० सं० 406/304 रकबा 0-035 है० किता-2 रकबा 0-4300 है० एवं मौजा देवलच्छ प०स० करपुरा के खाता सं० 113 में अंकित आ० सं० 884/701 रकबा 0-200 है० एवं आ०नं० 702 रकबा 0-070 है०, आ०नं० 885/703 रकबा 0-155 है० किता-3 रकबा 0-425 है० [illegible] से रहन, बेचान, [illegible] ना ही करावें। [illegible] प्रथम को जावक नम्बर से चस्पा करे। Signature Not Verified Digitally signed by Kailash Chand Gurjar Date: 2023.08.24 10:43:43 IST Reason: SelfAttested	